

9/1  
24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.  
श्रीमान् P.O. साहब चुनाव कार्या में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 2.3.15/24  
को पेश हो।

24/5  
24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभभाषक सच द्वारा कार्य स्थगित रखा।  
अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/7/24 को प्रस्तुत हो

9/7/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व  
आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 6/8/24 को प्रस्तुत हो

16/8/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 22/9/24  
को पेश हो।

28/9/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 9/8/10/24  
को पेश हो।

28/10/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप.  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 9/12/24  
को पेश हो।

9/12  
24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील ~~अप~~ पक्षकारण उपर्युक्त वाद  
के O.R. के तहत खारिज होने के कारण इत  
अंतर्गत आव्यादि विवेचना का कोई औचित्य नहीं  
रहा है अतः अस्तगत प्रारम्भ इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है। साक्ष्य के लक्षण सुनाए जाएंगे  
कारण वक्तव्य के वक्तव्य से कर रहे हैं।

सुरेश राव  
उपसखंड अधिकारी  
अनूपगढ़

